न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 34/2022 सुपुर्दगीनामा

मुरसलीम पुत्र आजम निवासी सहशान तहसील पहाडी जिला भरतपुर जरिये मुख्त्यारआम राशिद पुत्र इस्राईल जाति मेव मुसलमान निवासी 48, भोन्ड तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूंह हरियाणा

...प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये राजकीय अधिवक्ता

...अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा एफआईआर नं0 395/2021 पुलिस थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा जुर्म दफा 3, 5, 8 राजस्थान गोवंश पशु अधिनियम, 1995

उपस्थित:1. श्री अब्दुल मजीद, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक:25.03.2022

संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र सुपुर्दगीनामा इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा दिनांक 28.12.2021 को तीन गायें व एक बछडा भरकर ले जा रहे बोलेरो पिक अप वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 8249 को अभियोग संख्या 395/2021 धारा 3, 5, 8 गोवंश अधिनियम 1995 में जब्त कर लिया गया। पुलिस थाना रामगढ पचवारा द्वारा उक्त जब्तशुदा वाहन को सुपुर्द किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। राजकीय अधिवक्ता के मार्फत पुलिस थाना रामगढ पचवारा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा की एक प्रति राजकीय अधिवक्ता को दी गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि थानाधिकारी पुलिस थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा दिनांक 28.12.2021 को तीन गायें व एक बछडा भरकर ले जा रहे बोलेरो पिक अप वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 8249 को राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 की धारा 3,5,8 के अंतर्गत जब्त कर लिया गया। उक्त गोवंश पशुधन को प्रार्थी द्वारा खरीद कर वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 8249 में भरकर अन्यत्र ले जा रहे थे। पुलिस थाना रामगढ पचवारा द्वारा जब्तशुदा उक्त वाहन थाने में खडा–खडा खराब हो रहा है। वाहन के थाने में खडा रहने से प्रार्थी को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। पुलिस थाना रामगढ पचवारा द्वारा पुलिस अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है। अब उक्त वाहन की पुलिस को अनुसंधान हेतु आवश्यकता नहीं है। पुलिस थाना रामगढ पचवारा द्वारा मामले में अनुसंधान पूर्ण कर माननीय न्यायालय ... जज, लालसोट में चालान पेश किया जा चुका है। प्रार्थी न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.04.19 10:22:04 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फरमाया जाकर पुलिस थाना रामगढ पचवारा द्वारा जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 8249 बोलेरो पिक अप को सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि पुलिस थाना रामगढ पचवारा द्वारा वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 8249 पिक अप को अभियोग संख्या 395/2021 में राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 के अंतर्गत दिनांक 28.12.2021 को जब्त किया गया था। राजकीय अधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दी कि थाना रामगढ पचवारा द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 8249 को गो वंश तीन गायें व एक बछडे का अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया गया है। थानाधिकारी, पुलिस थाना रामगढ पचवारा द्वारा प्रकरण में माननीय न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। प्रकरण माननीय न्यायालय सिविल जज लालसोट में जैरकार है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रर्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस पर मनन किया गया। न्यायालय की पत्रावली एवं पुलिस थाना रामगढ पचवारा से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पुलिस थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा दिनांक 28.12.2021 को जुर्म धारा 3, 5, 8 राजस्थान गो वंश अधिनियम 1995 के अंतर्गत 03 गायें एवं 01 बछडे मय पिक अप वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 8249 को जब्त किया जाकर एफआईआर संख्या 395/2021 दर्ज की गई। पुलिस थाना रामगढ पचवारा द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण में नतीजा चार्जशीट नंबर 16/22 दिनांक 28.2.2022 धारा 3, 5, 8 राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 में वर खिलाफ मुल्जिम व वाहन स्वामी राशिद पुत्र ईसरायल जाति मेव मुसलमान निवासी भोंड वार्ड नंबर 13, फिरोजपुर थाना फिरोजपुर जिला नूँह मेवात (हरियाणा) के विरूद्ध किता की जाकर माननीय न्यायालय एमजेएम लालसोट में पेश की जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा गोवंश पशुधन को विधिक रूप से कय किये जाने का भी कोई प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही प्रकरण माननीय न्यायालय एमजेएम लालसोट में जैरकार होने के कारण हम जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.04.19 10:22:04 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 25.03.2022 को लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा